42 लाख रुपये की निकासी के मामले में पत्नी को दी सिविल कोर्ट जाने की सलाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 42 लाख रुपये की अवैध निकासी मामले में पुलिसकर्मी की विधवा पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला उत्तराधिकार और संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है, अतः याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट में दावा प्रस्तुत कर सकती है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता मुंगेली निवासी आशिता मसीह, जो कि मृतक पुलिस कांस्टेबल प्रशांत मसीह की पत्नी हैं, उन्होंने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके देवर सुनील कुमार मसीह ने उनके पति के बैंक खाते से 42 लाख रुपये अवैध रूप से निकाल लिए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैंक और पुलिस विभाग ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।

देवर के नाम पर थी नामिनी प्रविष्टि

बैंक की ओर से अधिवक्ता सुधांशु उपाध्याय ने बताया कि मृतक प्रशांत मसीह ने अपने भाई सुनील कुमार मसीह को नामिनी नियुक्त किया था। इसी आधार पर सुनील कुमार ने 42 लाख रुपये की निकासी की। बैंक ने यह भी कहा कि नामिनी के तौर पर खाते में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर राशि का भुगतान किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पति का निधन 12 अक्टूबर 2024 को सड़क दुर्घटना में हो गया था। इसके बाद उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त कर बैंक एवं पुलिस विभाग से पति के खातों में जमा राशि, बीमा व अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था।

कोर्ट ने यह कहा

अदालत ने कहा कि यह मामला दो निजी पक्षकारों (पत्नी और देवर) के बीच संपत्ति विवाद का है, जो कि पूर्णतः सिविल प्रकृति का है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र उपलब्ध है, अतः वह उचित सिविल अदालत में दावा दायर कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका रिट पिटिशन के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि, याचिकाकर्ता के पास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र है। मामला बैंक और देवर के बीच निजी विवाद का है। याचिकाकर्ता सिविल अदालत में दीवानी वाद (सिविल सूट) दायर कर न्याय प्राप्त कर सकती है। रिट याचिका के तहत यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है।